न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

कालू वगै 0 बनाम प्रधानाध्यापक वगै 0

प्रकरण संख्या: 121/16

वादीगण:

1. कालू पुत्र उदा, जाति गुर्जर, निवासी खेरखेड़ा, तहसील मनोहरथाना
2. रंगलाल पुत्र उदा, जाति गुर्जर, निवासी खेरखेड़ा, तहसील मनोहरथाना
3. बादाम बाई पुत्री उदा, जाति गुर्जर, निवासी खेरखेड़ा, तहसील मनोहरथाना
4. चम्पी बाई पत्नी स्व. उदा, जाति गुर्जर, निवासी खेरखेड़ा, तहसील मनोहरथाना

प्रतिवादीगण:

1. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरखेड़ा
2. सरपंच, ग्राम पंचायत खेरखेड़ा
3. महानरेगा अधिकारी, पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड़
4. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार, मनोहरथाना
5. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जरिए प्रबंधक, शाखा हरनावदाशाह जी

दावा: धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक :11.05.2026

उपस्थित:श्री अनूप खंडेलवाल, अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से

::निर्णय::

वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरखेड़ा की माल की खतौनी संख्या 8, खाता संख्या 9 एवं खाता संख्या 136 में स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की कुल आराजी उनके खातेदारी एवं शामलाती खातेदारी अधिकार में है तथा वे उक्त भूमि पर काश्त करते

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

उनके खातेदारी एवं शामलाती खातेदारी अधिकार में है तथा वे उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। वादपत्र के अनुसार विवादित भूमि में विशेष रूप से खसरा नंबर 526/182, 605/182 एवं 480/182 सम्मिलित हैं, जिन पर प्रतिवादीगण द्वारा विद्यालय के क्रीड़ा स्थल के नाम से कार्य कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वादीगण ने आरोप लगाया कि लगभग छह माह पूर्व पटवारी हल्का, खेरखेड़ा द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरखेड़ा के क्रीड़ा- हेतु जो भूमि चिन्हित की गई, वह उनकी खातेदारी एवं कब्जे-काश्त की भूमि है, अतः प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर खेल-मैदान बनाने एवं मनरेगा के तहत कोई कार्य कराने से स्थायी रूप से रोका जाए।

पैरोकार सरकार तहसीलदार, मनोहरथाना ने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल-मैदान प्रस्तावित हैं तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरखेड़ा के नाम से खसरा नंबर 568/182 रकबा 5 बीघा भूमि रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन क्रीड़ा-स्थल' के रूप में दर्ज है जिसका नक्शा ट्रेस में विधिवत् तरमीम किया जा चुका है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका-रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के खाते में कुल 8 बीघा 14 विस्वा खातेदारी भूमि बनती है, जबकि मौके पर उनके कब्जे में 20 बीघा से अधिक क्षेत्र पाया गया है और अतिरिक्त कब्जे के संबंध में धारा 91 राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।प्रतिवादी-पक्ष के अनुसार विद्यालय के क्रीड़ा-मैदान हेतु चिन्हित भूमि राजकीय आवंटित भूमि है, न कि वादीगण की वैधानिक खातेदारी भूमि, अतः वादीगण को धारा 188 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद के अभिलेख, पक्षकारों के कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, मौका-रिपोर्ट एवं प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के आधार पर निम्नलिखित बिंदु निर्णयार्थ उभरते हैं:

1. क्या वादीगण ने यह सिद्ध किया कि वे विवादित समस्त भूमि के वैध खातेदार हैं और उनकी शांतिपूर्ण, वैधानिक कब्जे-काश्त पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप या बेदखली का वास्तविक खतरा है?

2. क्या वर्तमान परिस्थितियों में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचारणीय एवं स्वीकार्य है?

3. यदि उपर्युक्त बिंदुओं के उत्तर वादीगण के पक्ष में हों, तो वे स्थायी निषेधाज्ञा के हकदार हैं या नहीं?

विधिक स्थिति: धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम क़े प्रावधान देखना समीचीन होगा

धारा 188 - दोष पूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश -

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.) सत्यमेव जयते

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

(1) कोई अभीधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपयोग पर उसके भूधारक अथवा अन्य किसी द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किया जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

,(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात निम्नलिखित मामलों में स्थाई व्यादेश दे सकेगा, अर्थात --

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभीनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो;

(ख़) यदि अतिक्रमण ऐसा हो की धनिय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो की अतिक्रमण के लिए धनिय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हो।

उक्त धारा के तहत न्यायालय आवश्यक जांच के पश्चात् तभी स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कर सकता है जब यह संतुष्ट हो कि वादी वैध खातेदार है और उसका कब्जा विधिसम्मत है तथा उस पर अवैध हस्तक्षेप से अपरिहार्य क्षति की आशंका है जिसके लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय नहीं है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि धारा 188 के अंतर्गत वाद में वादी द्वारा अपने 'खातेदार' होने को सिद्ध करना उसके अधिकार के लिए sine qua non (अनिवार्य पूर्व-शर्त) है; यदि वादी अपने वैधानिक खातेदारी अधिकार को सिद्ध नहीं कर पाता, तो वह उक्त धारा के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं हो सकता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण Premji Ratansey Shah बनाम Union of India में यह प्रतिपादित किया है कि यह स्थापित विधि है कि 'निषेधाज्ञा वास्तविक स्वामी (true owner) के विरुद्ध किसी अवैध कब्जाधारी या अतिक्रमणकारी (trespasser) के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती' और यदि वादी की स्थिति केवल अवैध कब्जाधारी की हो, तो केवल कब्जे के आधार पर भी उसे स्थायी निषेधाज्ञा नहीं मिल सकती। उक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया गया कि भले ही वादी ने किसी प्रकार का कब्जा स्थापित कर रखा हो, परन्तु जब वह कब्जा पूर्णतः अवैध एवं अतिक्रमण की श्रेणी में हो, तब वास्तविक स्वामी या विधिक अधिकार-संपन्न व्यक्ति के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रदान करना न्यायसंगत नहीं है।

अतः विधि का सिद्धांत यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकार केवल उस पक्ष को हो सकता है जो स्वयं स्वच्छ हाथों के साथ न्यायालय के समक्ष आए तथा जिसकी स्थिति विधिक अधिकार-संपन्न खातेदार अथवा वैध कब्जाधारी की हो; किसी अतिक्रमणकारी या

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

अति-कब्जाधारी को निषेधाज्ञा का संरक्षण प्रदान करना न्यायिक विवेक के विपरीत है।

अभिलेख में उपलब्ध खतौनी एवं मौके की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के खाते में कुल 8 बीघा 14 विस्वा भूमि दर्ज है, जबकि मौके पर वादीगण द्वारा 20 बीघा से अधिक भूमि पर कब्जा पाया गया है।अर्थात् वादीगण द्वारा अपने खातेदारी क्षेत्र से कहीं अधिक अत्यधिक भूमि पर कब्जा कर रखा गया है, जिसके संबंध में धारा 91 के अंतर्गत अतिक्रमण-निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

वादीगण ने न तो अपने वादपत्र एवं साक्ष्य के माध्यम से, और न ही किसी स्वतन्त्र दस्तावेज के द्वारा यह स्पष्ट किया कि विवादित संपूर्ण भूमि, विशेषकर वह भूमि जिस पर विद्यालय का खेल-मैदान प्रस्तावित है, पूर्णतया एवं निर्विवाद रूप से उनकी खातेदारी में दर्ज है। राजकीय अभिलेख एवं मौका-रिपोर्ट से विपरीत रूप से यह तथ्य उभर कर आता है कि खसरा नंबर 568/182 रकबा 5 बीघा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरखेड़ा के नाम 'गैर मुमकिन क्रीड़ा स्थल' के रूप में दर्ज है।

जैसा कि उपर्युक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट है, धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह अनिवार्य है कि वादी यह सिद्ध करे कि वह विवादित भूमि पर वैध खातेदार है और उसका कब्जा विधि-सम्मत है। यह भी आवश्यक है कि जिस भूमि पर निषेधाज्ञा मांगी जा रही है, वह वास्तव में वादी की होल्डिंग हो तथा वहाँ से बेदखली या हस्तक्षेप की धमकी उसके वैध अधिकार के विरुद्ध हो, न कि उस भूमि पर जो स्वयं वादी के अतिक्रमण के दायरे में आती हो।

वर्तमान प्रकरण में, वादीगण न तो अपने वैधानिक खातेदारी अधिकार की सीमा स्पष्ट रूप से सिद्ध कर पाए हैं और न ही यह स्थापित कर सके हैं कि जिस भूमि पर विद्यालय का क्रीड़ा-मैदान प्रस्तावित है, वह संपूर्णतः उनकी खातेदारी सीमा के भीतर आती है। इसके विपरीत राजस्व अभिलेख एवं मौका-रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण द्वारा अपने खाते से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा गया है, जो प्रथम दृष्टया अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Premji Ratansey Shah बनाम Union of India एवं अन्य दृष्टांतों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि अतिक्रमणकारी अथवा अवैध कब्जाधारी के पक्ष में वास्तविक स्वामी अथवा विधिक अधिकार-संपन्न संस्था के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, वह सिद्धांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है।

यहाँ प्रतिवादी-संख्या 1 विद्यालय एवं राजस्थान सरकार की ओर से यह प्रदर्शित किया गया है कि विवादित भूमि का एक भाग विद्यालय के क्रीड़ा-स्थल हेतु विधिवत् राजकीय अभिलेख में दर्ज एवं आवंटित है। ऐसी स्थिति में वादीगण, जिनका कब्जा अपने खाते से अधिक भूमि पर पाया गया है तथा जिनके अतिरिक्त कब्जे पर धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है, को केवल कब्जे के नाम पर इस न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा

11.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रदान करना न तो धारा 188 की मंशा के अनुरूप है और न ही उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों के आलोक में न्यायोचित है।

:::आदेश:::

दावा वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, गुणावगुण पर विचार पर विचारोपरांत खारिज किया जाता है। प्रत्येक पक्ष अपने-अपने व्ययों का वहन स्वयं करेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

11.5.26

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर. ए. एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़